

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 541/15

संस्थापन दिनांक:-04/09/15

फायलिंग नं. 233504003032015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

वीरेंद्र उर्फ छोटू पिता प्रेमसिंह धुर्वे

उम्र 19 वर्ष, निवासी टण्डन केम्प बोड़खी,

थाना आमला, जिला बैतूल (उ.प्र.)

.....अभियुक्त

—: (नि र्ण य) :—

(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08.08.2015 को समय करीब 07:30 बजे बोड़खी आमला रोड पर वाहन स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त देवेंद्र के संबंध में निर्णय दिनांक 04.09.2015 को पारित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ छोटू के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 08.08.2015 को रात्रि करीब 07:30 बजे अपने घर वापस आ रहा था। तभी माथनकर चाल के सामने सफेद रंग की स्कूटी के चालक ने उसे ठोस मार दी जिससे वह गिर गया और उसे दाहिनी आंख के उपर व अन्य जगह चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में सफेद रंग की स्कूटी का चालक छोटू धुर्वे के विरुद्ध अपराध क्र. 435/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी सुमित पनवार का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा०दं०सं० एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 सतीश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त की पहचानना बताते हुए प्रकट किया है कि घटना आर के ढाबा के सामने शाम की 6-6.30 बजे की है। वह घटना के समय एयरफोर्स मेस से काम करके लौट रहा था तभी अभियुक्त स्कूटी गाड़ी को गलत साईड से तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और फरियादी को टक्कर मार दी थी जिससे सुमित गिर गया था और उसे चोट आयी थी।

8 फरियादी सुमित पनवार (अ.सा.-2) अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि दिनांक 08.08.2015 को शाम के साढ़े सात बजे वह सायकिल से टंडन कैंप की ओ जा रहा था तभी एक स्कूटी चालक से उसकी सायकिल टकरा गयी थी। टकराने के बाद वह गिर गया था जिससे उसे दांत, आंख व कलाई, सिर पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) तथा मौकानक्शा (प्रदर्श पी-4) है। साक्षी ने

उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि सफेद रंग की स्कूटी के चालक ने तेज व लापरवाही से चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दी थी जिससे उसकी सायकिल व उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्त ने स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को तेज व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे उसे आंख के पास चोट लगी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह सही होना बताया है कि उसकी सायकिल स्कूटी से टकरा गयी थी इसलिए दुर्घटना हो गयी थी।

9 सतीश (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त वीरेंद्र ने स्कूटी को तेजी से चलाकर टक्कर मारी थी परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना स्थल के पास ब्रेकर बने हुए थे। घटना स्थल से वह चार बत्ती दूरी तक था और घटना के विपरीत दिशा में उसके नजरे थी और घटना घटित होते उसने नहीं देखा था। टक्कर होने की आवाज सुनकर उसने पीछे की ओर देखा तब तक टक्कर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि साक्षी ने अभियुक्त वीरेंद्र को वाहन तेजी से चलाते हुए और टक्कर मारते हुए देखा। स्वयं फरियादी सुमित पनवार ने भी यह बताया है कि उसकी सायकिल स्कूटी से टकरा गयी थी। फरियादी के द्वारा ही घटना का समर्थन नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेह की परिधि में आता है।

10 उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 का संचालन किया जा रहा था, तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया हो तथा उक्त मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया गया हो। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.दं.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

11 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने स्कूटी क्र. एमपी-48-एमजे-4359 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन

को उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त वीरेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 प्रकरण में जप्तशुदा स्कूटी क. एमपी-48-एमजे-4359 आवेदक/सुपुर्ददार देवेंद्र पिता प्रेमसिंह निवासी टण्डन केम्प आमला थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)